



क्रमांक : 346 / अका. / का.प. / 2014

रायपुर, दिनांक : 15/05/2014

विश्वविद्यालय स्थापना दिवस 1 मई 1964 से 50 वर्ष पूरा होने के फलस्वरूप कार्यपरिषद की प्रथम बैठक शुक्रवार, दिनांक 09 मई, 2014 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए—

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. प्रो. सी.एल. पटेल	—	सदस्य
3. प्रो. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
4. प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
5. प्रो. बी.के. शर्मा	—	सदस्य
6. प्रो. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
7. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	—	सदस्य
8. डॉ. एम.आई. मेमन	—	सदस्य
9. डॉ. के.एन. बापट	—	सदस्य
10. डॉ. पी.सी. अग्रवाल	—	सदस्य
11. डॉ. आर. बाला सुब्रमनियम	—	सदस्य
12. श्री एस.के. चक्रवर्ती	—	सदस्य
13. प्रो. दिनेश मारोठिया	—	सदस्य
14. श्री ललित सुरजन	—	सदस्य
15. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

### कार्यवृत्त

कार्यपरिषद् के नवनियुक्त सदस्यगण, प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, डॉ. के.एन. बापट एवं डॉ. पी.सी. अग्रवाल का कुलसचिव द्वारा गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.03.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.03.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.03.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.03.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण किया गया।

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

04. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 29.03.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 29.03.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

05. विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार 100 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक 178/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, नया रायपुर दिनांक 25 अप्रैल, 2014 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2014 से 100 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

06. विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2014 से 90 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 100 प्रतिशत महंगाई राहत की दर, छ.ग. राज्य शासन के अनुरूप प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2014 से 90 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 100 प्रतिशत महंगाई राहत की दर, छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का वित्त निर्देश 24/2014 एवं पत्र क्रमांक 180/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार दिनांक 25 अप्रैल, 2014 के अनुरूप प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

07. 20वाँ दीक्षांत समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्र. No. 10/Per.Cell/2014, 17 April, 2014 सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : 20वाँ दीक्षांत समारोह दिनांक 26 जुलाई, 2014 के लिए राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्र. No. 10/Per. Cell/2014, 17 April, 2014 के अनुसार माननीय राष्ट्रपति की सहमति की सूचना ग्रहण किया गया। 20वाँ दीक्षांत समारोह के संबंध में कार्यपरिषद् की ओर से आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

08. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।





09. स्वर्ण जयंती (1 मई 2014) के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय स्मृति चिन्ह के देयक रू. 13,25,000/- (तेरह लाख पच्चीस हजार रूपए) VIABLE DIAMONDS इंदौर को भुगतान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर सेवानिवृत्त एवं वर्तमान में कार्यरत शिक्षको, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यादगार के रूप में प्रदान किये जाने वाले स्मृति चिन्ह का VIABLE DIAMONDS इंदौर के द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रू. 13,25,000/- (तेरह लाख पच्चीस हजार रूपए) भुगतान के लिए स्वीकृति दी गई।

10. महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर डी.सी.ए. की अस्थायी सम्बद्धता पर विचार करना।

निर्णय : महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर को डी.सी.ए. में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव अमान्य किया गया।

### पूरक विषयसूची

01. मे. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा. लि. इंदौर को देयक रू. 20,42,046=00 स्वीकृत किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : मे. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा. लि. इंदौर के द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रू. 20,42,046=00 भुगतान हेतु स्वीकृति दी गई।

02. शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा को हिन्दी विषय में शोध केन्द्र की मान्यता देने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा को समिति की अनुशंसा पर 2 वर्ष के लिए हिन्दी विषय में शोध केन्द्र बनाने की स्वीकृति दी गई।

03. अनुचित साधन समिति गठित किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अनुचित साधन समिति वर्ष 2014 के लिए निम्नलिखित तीन सदस्यों के मनोनयन हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

04. सेमेस्टर/वार्षिक/पूरक परीक्षा 2013 में अनुचित साधन के पंजीबद्ध प्रकरणों के निराकरण हेतु गठित अनुचित साधन समिति के निर्णय की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सेमेस्टर/वार्षिक/पूरक परीक्षा 2013 में अनुचित साधन के पंजीबद्ध प्रकरणों के निराकरण हेतु गठित अनुचित साधन समिति के निर्णय की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

05. डॉ. गौरी शंकर, प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला के पत्र दिनांक 13.02.2014 के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ. गौरी शंकर, प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला के पत्र दिनांक 13.02.2014 की सूचना ग्रहण की गई।

06. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.05.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : (i) भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.05.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

(ii) विश्वविद्यालय के गार्डन मेन्टेनेंस, सी.एस.आर. के तहत किये जाने संबंधी अनुशांसा अभी स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

07. प्रसूती अवकाश 135 दिन के स्थान पर 180 दिन किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : शासन के अधिसूचना क्र. 40/एफ-1003117/वित्त/नियम/चार/2012 दिनांक 18 फरवरी, 2013 में पूर्वस्वीकृत प्रसूती अवकाश 135 दिन में वृद्धि करते हुए 180 दिन किये जाने संबंधी निर्णय को अंगीकृत किया गया।

08. श्री क्यू. फजली, वरिष्ठ अधीक्षक (बर्खास्त) के अपील 28.06.2008 के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : विधिक सलाहकार के अभिमत के आधार पर प्रकरण की पुनः समीक्षा/परीक्षण कर नियमान्तर्गत कार्यवाही किया जावे।

09. छ.ग. शासन के नियमानुसार संविदा आधार पर संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त आचार्य, जैविकी अध्ययनशाला की सेवाएं एक वर्ष वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त आचार्य, जैविकी अध्ययनशाला की सेवाएं एक वर्ष वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।





10. डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के संबंध में।

निर्णय : डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला द्वारा मैट्स विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से त्यागपत्र देकर सांख्यिकी अध्ययनशाला में पुनः अपने मूल पद (आचार्य) पर कार्यभार ग्रहण दिनांक 22.04.2014 से Lien समाप्त करते हुए, सूचना ग्रहण कर, अनुमोदन किया गया।

11. श्री रूपेश शर्मा, उपयंत्री, (अनिवार्य सेवानिवृत्त) के प्रकरण पर प्राप्त विधिक अभिमत, विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : प्रकरण पर दो कार्यपरिषद् सदस्यों एवं एक अन्य सदस्य की समिति बनाकर समीक्षा किया जावे। समिति की अनुशंसा कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

### अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला के विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि रू. 10,000/- से बढ़ाकर रू. 20,000/- की स्वीकृति प्रदान की गई।
2. (i) कुलपति द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला में से सत्र 2013-14 में सर्वोच्च परफार्मेंस प्रदर्शित करने वाले विभाग, जैविकी अध्ययनशाला को विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, डॉ. बाबूराम सक्सेना स्मृति रनिंग ट्राफी एवं सत्र 2013-14 में अशासकीय महाविद्यालयों में से सर्वोच्च परफार्मेंस करने वाले महाविद्यालय को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, डॉ. बी.एल. पाण्डेय, स्मृति रनिंग ट्राफी प्रदान किया गया।  
(ii) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में से नैक मूल्यांकन में 'ए' ग्रेड प्राप्त महाविद्यालय, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर महाविद्यालय, दुर्ग को कुलपति ट्राफी प्रदान किया गया।

प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही (i) एवं (ii) की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

- (iii) निर्णय लिया गया कि शासकीय महाविद्यालयों में से सर्वोच्च परफार्मेंस करने वाले महाविद्यालयों के लिए डॉ. जे.योगानंदम रनिंग ट्राफी स्थापित किया जावे।
- (iv) कुलपति ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि स्वर्ण जयंती वर्ष में महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा THE CWS UPDATE प्रसारित किया गया। स्थापना दिवस 1 मई 2014 को अर्द्धवार्षिक समाचार बुलेटिन "चित्रोत्पला" (E-News Letter) केन्द्रीय डाक विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती आवरण एवं Journal of Pt. Ravishankar University, Part-B (Science) के विशेष अंक का विमोचन किया गया।



3. समीक्षण समिति के अनुशंसानुसार दिनांक 22.03.2014 के निर्णय के अनुरूप यू.जी.सी. को पत्र प्रेषित किया जा चुका है, इसमें आंशिक संशोधन करते हुए शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को 01.07.2014 से 30.06.2019 तक 5 वर्षों के लिए स्वशासी निरंतरता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति के प्रत्याशा में इसी प्रकार समीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर समस्त शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों को पाँच वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् स्वशासी निरंतरता प्रदान करने के संबंध में पत्र दिया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।



(डॉ.एस.के पाण्डेय)  
कुलपति  
अध्यक्ष




(के.के. चन्द्राकर)  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक : 347 / अका./ का.प./ 2014

रायपुर, दिनांक : 15/05/2014

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप कुलसचिव (अका.)